(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 07/2021-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 10कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020" के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो", शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रमांक 10कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

		सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।		

(iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 10ड. और 14 के सामने, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 20क और 20ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“64क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(viii) क्रम संख्या 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "कुल व्यय" के पश्चात, अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रमांक 77क और 83 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख” अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 85क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“85ख	शीर्ष 9996	एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य”;

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 354/207/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2020-एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020, सा.का.नि. 643 (अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।